"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015—कार्तिक 29, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-08-2015 के द्वारा श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006) को मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ करते हुए अपर विकास आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006) को मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पदेन अपर विकास आयुक्त के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009) संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संचालक, समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री नीलेश कुमार, महादेव क्षीरसागर, (भा.प्र.से.-2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से., द्वारा अपर आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), छत्तीसगढ़, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक अपर आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), छत्तीसगढ़, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) संचालक, उद्यानिकी, पदेन संयुक्त सचिव, कृषि विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री अविनाश चंपावत द्वारा पदभार ग्रहण करने पर डॉ. अय्याज फकीरभाई तंबोली, भा.प्र.से. (2009), मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के प्रभार से मुक्त होंगे तथा शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्रमांक ई-1-11/2015/1 /2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007, के नियम 3(3) के परन्तुक के अंतर्गत, सेवा के अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 10000/-) में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कॉलम क्रमांक 4 में नाम के सम्मुख दर्शित पद पर पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल	संचालक, पंचायत	आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत
2.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	आयुक्त, दुर्ग संभाग/आयुक्त, रायपुर संभाग का अतिरिक्त प्रभार.	आयुक्त, रायपुर संभाग/अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, दुर्ग संभाग.
3.	श्री देवीदयाल सिंह	विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, अति. प्रभार विशेष सचिव, सा.प्र.वि. एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग.	सचिव, सहकारिता विभाग, अति. प्रभार सचिव, सा.प्र.वि. एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री एस. आर. ब्राहम्णे	संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन	आयुक्त-सह-संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन.
5.	श्री त्रिलोक चंद महावर	आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर	आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर
6.	श्री एन. के. खाखा	अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग	सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर
7.	श्री रामसिंह ठाकुर	कलेक्टर, रायपुर	कलेक्टर, रायपुर.

2. क्रमांक 1 से 3 में अंकित अधिकारी वर्ष 2016 में आयोजित Mid-Career Training (Phase-IV) में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे.

3. श्री रामसिंह ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9 के तहत कलेक्टर, रायपुर के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्रमांक ई-1-1/2015/एक /2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. 14015/05/2015-AIS (I)-B, दिनांक 02 नवंबर, 2015 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य शासन एतदद्वारा, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तालिका के कॉलम क्रमांक 5 में उल्लिखित पद पर पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सत्यनारायण राठौर	02-11-2015	अपर कलेक्टर, रायपुर	अपर कलेक्टर, रायपुर
2.	श्री महादेव कावरे	02-11-2015	महाप्रबंधक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार.	महाप्रबंधक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार.
3.	श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा	02-11-2015	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई.	आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई.
4.	श्री श्याम लाल धावड़े	02-11-2015	अपर कलेक्टर, रायगढ़	अपर कलेक्टर, रायगढ़
5.	श्री हीरालाल नायक	02-11-2015	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	अपर कलेक्टर बस्तर
6.	श्री चंद्रकांत उईके	02-11-2015	संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग.	संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास.
7.	श्री सुनील कुमार जैन	02-11-2015	अपर कलेक्टर, दुर्ग	अपर कलेक्टर, दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	श्री कुमार लाल चौहान	02-11-2015	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर.
9.	श्री विपिन मांझी	02-11-2015	अपर कलेक्टर, कांकेर	अपर कलेक्टर, कांकेर
10.	श्री डोमन सिंह	02-11-2015	अपर कलेक्टर, रायपुर	अपर कलेक्टर, रायपुर
11.	श्री के. डी. कुंजाम	02-11-2015	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम.

2. सरल क्र. 2 पर दर्शित अधिकारी श्री महादेव कावरे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत महाप्रबंधक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. सरल क्र. 3 पर दर्शित अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-7/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2015/2821, दिनांक 26-09-2015 द्वारा नगरपालिक निगम बीरगांव के महापौर तथा पार्षद पदों के आम निर्वाचन की समय अनुसूची कार्यक्रम अनुसार दिनांक 16 नवंबर, 2015, दिन सोमवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला-रायपुर के नगरपालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 16 नवंबर, 2015, दिन सोमवार को मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्रमांक 10136/616/21-ब/छ.ग/2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री प्रेम कुमार शुक्ल, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, बलौदाबाजार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक बलौदाबाजार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 07-15/2015/10 (भा.व.से.).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-09-2015 द्वारा श्री आर. के. तिवारी तत्कालीन प्रबंधक (प्रशासन), राज्य वन विकास निगम, रायपुर को दिनांक 07-09-2015 से 03-10-2015 तक कुल 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. श्री तिवारी द्वारा उक्त अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने की सूचना ज्ञापन दिनांक 03-09-2015 द्वारा दी गई. अवकाश उपभोग नहीं करने की पुष्टि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 24-09-2015 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्री तिवारी को स्वीकृत उपरोक्त अर्जित अवकाश निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3224 को दिनांक 18-11-2015 से 17-05-2016 एवं बॉयलर क्रमांक M.P./3434 को दिनांक 09-10-2015 से 08-04-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 76 ख की उप-धारा (2) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-दो (क) के सरल क्रमांक 18 के कॉलम (4) एवं (5) में, क्रमशः अंक "67%" एवं "33%" अन्तःस्थापित किया जाये.
2. अनुसूची-दो (क) के सरल क्रमांक 18 के कॉलम (6) में, अंक "100%" का लोप किया जाये.
3. अनुसूची-दो (क) के सरल क्रमांक 28 के कॉलम (4) एवं (6) में, क्रमशः अंक "75%" एवं "25%" अन्तःस्थापित किया जाये.
4. अनुसूची-दो (क) के सरल क्रमांक 30 के कॉलम (4) एवं (5) में, क्रमशः अंक "67%" एवं "33%" अन्तःस्थापित किया जाये.
5. अनुसूची-दो (क) के सरल क्रमांक 30 के कॉलम (6) में, अंक "100%" का लोप किया जाये.
6. अनुसूची-दो (क) के सरल क्रमांक 45 के कॉलम (4) एवं (6) में, क्रमशः अंक "75%" एवं "25%" अन्तःस्थापित किया जाये.
7. अनुसूची-दो (क) के सरल क्रमांक 45 के कॉलम (5) में, अंक "100%" का लोप किया जाये.
8. अनुसूची-तीन (क) के सरल क्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4-क.	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 55% सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर. (2) वित्त/लेखा प्रबंधन में 4 वर्ष का कार्यानुभव (3) कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटराईज्ड लेखांकन (टैली) का ज्ञान.	
4-ख.	सहायक योजनाकार/ वास्तुकार.	—तदैव—	—तदैव—	(1) **सहायक योजनाकार**—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक तथा क्षेत्रीय योजना की अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केप प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि. (2) **सहायक वास्तुकार**— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक उपाधि सहित न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यानुभव.	
4-ग.	सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	—तदैव—	—तदैव—	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य में स्नातक या समतुल्य. (2) वित्त लेखा प्रबंधन में 3 वर्ष का कार्यानुभव (3) कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटराईज्ड लेखांकन (टैली) का ज्ञान.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4-घ.	लेखापाल	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य में स्नातक या समतुल्य. (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 1 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा या समतुल्य. (3) कम्प्यूटराईज्ड लेखांकन (टैली) में 2 वर्ष का कार्यानुभव. (4) कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटराईज्ड लेखांकन (टैली) का ज्ञान."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 1-20/2015/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th October 2015

No. F 1-20/2010/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 76B read with Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Authority Services (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In column (4) and (5) of serial number 18 of Schedule-II (A), the figures "67%" and "33%" shall be inserted, respectively.

2. In column (6) of serial number 18 of Schedule-II (A), the figure "100%" shall be omitted.

3. In column (4) and (6) of serial number 28 of Schedule-II (A), the figures "75%" and "25%" shall be inserted, respectively.

4. In column (4) and (5) of serial number 30 of Schedule-II (A), the figures "67%" and "33%" shall be inserted, respectively.

5. In column (6) of serial number 30 of Schedule-II (A), the figure "100%" shall be omitted.

6. In column (4) and (6) of serial number 45 of Schedule-II (A), the figures "75%" and "25%" shall be inserted, respectively.

7. In column (5) of serial number 45 of Schedule-II (A), the figure "100%" shall be omitted.

8. After the serial number 4 of Schedule-III (A), the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4-A.	Manager (Finance and Accounts)	21 years	30 years	(1) Master of Commerce with 55% from any recognized University/Institution. (2) 4 years of work experience in Finance/ Accounts management. (3) Knowledge of Computer and Computerized Accounting (TALLY).	
4-B.	Assistant Planner/Architect	-do-	-do-	(1) **Assistant Planner—** Graduate in Architecture and post Graduate in (Urban Planning, Urban-Design, Landscape Planning of Regional Planning from any recognized University. (2) **Assistant Architect—** Graduate Degree in Architecture from any recognized University with minimum 2 years of work experience.	
4-C.	Assistant Manager (Finance And Accounts)	-do-	-do-	(1) Bachelor of Commerce from a recognized University/Institution or equivalent. (2) 3 years of work experience in Finance Accounts management. (3) Knowledge of Computer & Computerized Accounting (TALLY).	
4-D.	Accountant	18 Years	30 years	(1) Bachelor of Commerce from a recognized University/Institution or equivalent. (2) 1 year computer Diploma from a recognized University/institution or equivalent. (3) 2 years of work experience in Computerized Accounting (TALLY) (4) Knowledge of Computer and Computerized Accounting (TALLY).”	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 5-36/2015/18.—पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में पथ विक्रय के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 कहलायेंगे.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) "बाजार समिति" से अभिप्रेत है नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा उसके अधिकारिताधीन क्षेत्र के लिये गठित बाजार समिति;

(घ) "महापौर" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) के अन्तर्गत गठित नगरपालिक निगम का महापौर;

(ङ) "नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगमों की स्थिति में नगरपालिक आयुक्त तथा नगरपालिका और नगर पंचायतों की स्थिति में नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष;

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) के अन्तर्गत गठित नगरपालिका अथवा नगर पंचायत की स्थिति में नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष.

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में समनुदेशित है.

3. **पथ विक्रय हेतु न्यूनतम आयु.—**पथ विक्रय हेतु न्यूनतम आयु अट्ठारह वर्ष होगी :

परन्तु यह कि चौदह वर्ष एवं उससे अधिक की आयु के बच्चे शाला अवधि के पूर्व और/या बाद में पथ विक्रय के व्यवसाय में अपने अभिभावक की सहायता कर सकेंगे.

4. **अपील.—**

(1) अपील, ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो की छायाप्रति के साथ, यथास्थिति, महापौर अथवा अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत रूप से (स्वयं) प्रस्तुत की जा सकेगी तथा इस नियम से संलग्न प्ररूप-2 में पावती प्राप्त करनी होगी.

(2) अपील का निराकरण, उसके प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीस दिवस की अवधि के भीतर किया जायेगा. कोई भी अपील, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना निराकृत नहीं किया जायेगा.

5. **नगर विक्रय समिति.—**

(1) प्रत्येक शहर के लिये एक नगर विक्रय समिति होगी :

परन्तु यह कि ऐसे शहर, जिन्हें विभिन्न प्रशासनिक जोन में विभाजित किया गया हो, में प्रत्येक जोन हेतु एक नगर विक्रय समिति हो सकेगा.

(2) नगरपालिका अधिकारी, नगर विक्रय समिति का निम्नानुसार गठन करेगा:

(क) नगरपालिका अधिकारी, नगर विक्रय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) बाजार समिति का अध्यक्ष, नगर विक्रय समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा;

(ग) यथास्थिति, महापौर अथवा अध्यक्ष, चार पार्षदों को सदस्य के रूप में नामांकित करेंगे;

(घ) नगरपालिका अधिकारी, दो प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा समाजशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नामांकित करेगा;

(ङ) विक्रेताओं के संगठन द्वारा, दस विक्रेताओं, जिनमें से आधी महिलाएं होंगी, को सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि विक्रेताओं का संगठन न हो तो नगरपालिका अधिकारी, दस विक्रेताओं, जिनमें से आधी महिलाएं होनी चाहिये, को सदस्य के रूप में सेवा करने हेतु नामांकित करेगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा नि:शक्त व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा:

परन्तु यह भी कि विक्रेताओं का चयन इस प्रकार से किया जायेगा कि शहर में विभिन्न व्यवसायों और विक्रय जोन को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो;

(च) अधीक्षक (यातायात पुलिस), उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से अनिम्न के एक अधिकारी को, नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने हेतु नामांकित करेगा;

(छ) नगरपालिका अधिकारी, तीन अधिकारियों अर्थात् बाजार अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी तथा नगर नियोजक को नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा;

(ज) संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सहायक संचालक की श्रेणी से अनिम्न के एक अधिकारी को, नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा;

(झ) चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष, एक प्रतिनिधि को नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा;

(ञ) अध्यक्ष, आवश्यकतानुसार, किसी अन्य व्यक्ति को नगर विक्रय समिति में सलाहकार अथवा परामर्शदाता के रूप में सहबद्ध होने हेतु मानदेय, जिसका भुगतान नगर विक्रय समिति की निधि से किया जायेगा, सहित या रहित, जैसा कि नगर विक्रय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाये, आमंत्रित कर सकेगा.

(3) नगर विक्रय समिति का कार्यकाल, नगरीय निकाय के कार्यकाल में समानान्तर (को-टर्मिनस) होगा.

(4) नगर विक्रय समिति में सेवा देने हेतु अध्यक्ष तथा सदस्यों को किसी भी भत्ते की पात्रता नहीं होगी.

(5) नगर विक्रय समिति की बैठकें, स्थानीय क्षेत्र के भीतर ऐसे अन्तरालों और स्थानों पर होंगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर नियत किया जाये:

परन्तु यह कि दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से अधिक का नहीं होगा.

6. **नगर विक्रय समिति का कार्यालय.—** नगरपालिका अधिकारी, यदि आवश्यक हो, नगर विक्रय समिति हेतु भाड़ा मुक्त कार्यालय स्थल उपलब्ध करायेगा.

7. **पथ विक्रेताओं की पंजी.—** नगर विक्रय समिति, पथ विक्रेताओं की वार्डवार पंजी संधारित करेगा जिसमें अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (2) में सूचीबद्ध रूप में समस्त विवरण अन्तर्विष्ट होंगे:

परन्तु यह कि पंजी, हार्ड कॉपी में संधारित की जायेगी, जिसे नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु पदाभिहित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की जायेगी.

8. **वार्षिक विवरणी.—** प्रत्येक नगर विक्रय समिति द्वारा, प्ररूप–3 में विहित वार्षिक विवरणी, आगामी वित्तीय वर्ष के तीस जून के पूर्व, बैठक में अंगीकृत करते हुए, नगरीय प्रशासन एवं विकास के संचालक को भेजा जायेगा.

9. **योजना की संक्षेपिका.—** अधिनियम की धारा 38 के अधीन तैयार की गई योजना की संक्षेपिका, दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्ररूप–4 के अनुसार प्रकाशित की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

प्ररूप–1
[नियम 4(1) देखिये]

नगर विक्रय समिति के आदेश के विरुद्ध महापौर/अध्यक्ष के समक्ष अपील

(नगरपालिका का नाम तथा पता)

1. अपीलकर्ता का नाम
2. विक्रेता का रजिस्ट्रेशन नंबर
3. पूरा पता
4. मोबाईल नंबर
5. विक्रय का स्थान
6. आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का क्रमांक और दिनांक
   (आदेश की प्रति संलग्न करें)
7. क्या अपील, आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर दर्ज की गई है? हां/नहीं
8. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण (लगभग 200 शब्दों में)
9. अपील हेतु आधार
10. क्या आप आदेश पारित करने के पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं ? हां/नहीं

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

अपील करने की तिथि

(केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए)

अपील संदर्भ संख्या : (नगरीय स्थानीय निकाय)/(सरल क्रमांक)/(वर्ष)

प्ररूप–2

[नियम 4(3) देखिये]

नगर विक्रय समिति के आदेश के विरुद्ध अपील की पावती

(नगरपालिका का नाम एवं पता)

नगर विक्रय समिति के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के विरुद्ध (अपीलकर्ता का नाम) .... से अपील प्राप्त की गई. अपील संदर्भ क्रमांक निम्नानुसार है : (नगरीय स्थानीय निकाय)/(सरल क्रमांक)/(वर्ष)

दिनांक : प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील

प्ररूप–3

(नियम 8 देखिये)

नगर विक्रय समिति का वार्षिक विवरणी

1. समाप्त वित्तीय वर्ष .... के लिए विवरणी.
2. विवरणी भरने वाले टीव्हीसी का नाम.
3. नगरीय स्थानीय निकाय का नाम.
4. टीव्हीसी के सदस्यों की कुल संख्या.
5. टीव्हीसी में विक्रेता–सदस्यों की कुल संख्या.
6. वर्ष के दौरान आयोजित टीव्हीसी के बैठकों की संख्या.
7. क्या बैठकों का समुचित अभिलेख संधारित किया गया है ? हां/नहीं
8. क्या शहर में विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो अंतिम सर्वेक्षण कब किया गया ? हां/नहीं
9. क्या विक्रेताओं की पंजी संधारित है ? हां/नहीं
10. क्या विक्रेताओं की पंजी वर्ष के दौरान अद्यतन किया गया था ? हां/नहीं
11. वर्ष के प्रारंभ में पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या.
12. वर्ष के दौरान पंजीकरण रद्द किये गये विक्रेताओं की संख्या.
13. वर्ष के दौरान नये पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या
14. वर्ष के अंत में पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या
15. शहर में विक्रेता बाजारों की संख्या.
16. वर्ष के दौरान बनाये गये नये विक्रेता बाजारों की संख्या
17. विक्रेताओं की संख्या जिन्हें बैंक से जोड़ा गया.
18. विक्रेताओं की संख्या जिन्हें आवास प्रदान किया गया.
19. विक्रेताओं की संख्या जिनके विरुद्ध वर्ष के दौरान प्रकरण दर्ज किये गये.
20. क्या टीव्हीसी के पास स्वयं की निधि है ? यदि हां, तो वर्ष के अंत में निधि में शेष राशि.
21. अच्छी प्रथाएं, यदि कोई हो तो, जो टीव्हीसी, अन्य टीव्हीसी के साथ बांटना चाहती हो.
22. बैठक की तिथि जिसमें वार्षिक विवरणी, टीव्हीसी द्वारा अनुमोदित की गई.

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील

प्ररूप–4

(नियम 9 देखिये)

योजना की संक्षेपिका

[पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 38 (2) के अनुसार प्रकाशित]

(1) नगर विक्रय समिति के उपयोग हेतु नगरपालिक निकाय द्वारा, पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण वार्डवार, व्यवसाय वार तथा विक्रय जोन वार कराया जायेगा.

(2) सर्वेक्षण के अन्तर्गत चिन्हांकित पथ विक्रेताओं को, सर्वेक्षण के तीन माह के भीतर, विक्रेता का फोटो लगा विक्रय प्रमाणपत्र, योजना में दी गई अनुमोदित प्ररूप पर विक्रेता द्वारा नगरीय निकाय के पक्ष में वचनपत्र किये जाने के अध्यधीन रहते हुए, जारी किया जायेगा.

(3) प्रत्येक विक्रेता के लिये आवश्यक होगा कि विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शुल्क के रूप में नगर विक्रय समिति को रु. 100/– (एक सौ रुपये मात्र) का भुगतान कर उचित पावती प्राप्त करें. प्रमाण पत्र के गुम होने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में, रु. 500/– (पांच सौ रुपये मात्र) का भुगतान करने पर द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) जारी किया जायेगा.

(4) प्रत्येक विक्रेता, जिसे विक्रय प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, को एक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा, जिसमें उसका आधार नंबर भी होगा.

(5) प्रत्येक विक्रेता, जिसे विक्रय का प्रमाणपत्र दिया जा चुका हो, को फोटो पहचान पत्र आधार नम्बर के साथ दिया जायेगा. प्रत्येक विक्रेता के लिये आवश्यक होगा कि फोटो पहचान पत्र जारी करने हेतु शुल्क के रूप में संबंधित नगर विक्रय समिति को रु. 100/– (एक सौ रुपये मात्र) का भुगतान कर समुचित पावती प्राप्त करें. प्रमाण पत्र के गुम होने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में, रु. 500/– (पांच सौ रुपये मात्र) का भुगतान करने पर द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) जारी किया जायेगा.

(6) पथ विक्रय से संबंधित अन्य विवरण योजना में दी गई है जिसकी प्रति, नगरपालिक कार्यालय से रु. 500/– का भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है. इसे वेबसाइट .... पर ऑनलाईन देखा जा सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 5–36/2015/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–36/2015/18 दिनांक 07–10–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 7th October 2015

No. F 5-36/2015/18.— In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No.7 of 2014), the State Government, hereby, makes the following rules relating to street vending in the State of Chhattisgarh, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**
   (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

      (a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No. 7 of 2014);

      (b) "Form" means the form appended to these rules;

      (c) "Market Committee" means the Market Committee constituted by the Municipal Authority for the area under his jurisdiction;

      (d) "Mayor" means Mayor of the Municipal Corporation constituted under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

      (e) "Municipal Officer" means the Municipal Commissioner in the case of Municipal Corporations and the President of the municipal body in the case of Municipalities and Nagar Panchayats;

      (f) "President" means the President of the municipal body in the case of a Municipality or a Nagar Panchayat constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

   (2) Words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned in this Act.

3. **Minimum Age for Street Vending.—** The minimum age for street vending shall be eighteen years:

   Provided that the children who are fourteen years and above may help their parents in the business of street vending before and/or after school hours.

4. **Appeal.—**
   (1) The appeal shall be filed before the Mayor or the President, as the case may be, accompanied by a copy of the order appealed from, in person and an acknowledgement shall be obtained in Form-2 appended to this rule.

   (2) The appeal shall be disposed off within a period of thirty days from the date of its presentation. No appeal shall be disposed of unless the appellant has been given an opportunity of hearing.

5. **Town Vending Committee.—**
   (1) There shall be a Town Vending Committee for every town:

      Provided that in cities that have been divided into various administrative zones, there may be a Town Vending Committee for every zone.

(2) The Municipal Officer shall constitute the Town Vending Committee as follows:-

(a) The Municipal Officer shall be ex-officio Chairman of the Town Vending Committee;

(b) Chairman of the Market Committee shall be ex-officio Vice Chairman of the Town Vending Committee;

(c) The Mayor or the President, as the case may be, shall nominate four counsellors as members;

(d) The Municipal Officer shall nominate two reputed social workers or sociologists as members;

(e) The Vendors' guild shall nominate ten vendors, half of whom shall be women as members:

Provided that, if there is no Vendors' Guild, the Municipal Officer shall nominate ten vendors, half of whom should be women, to serve as members:

Provided further that due representation shall be given to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities:

Provided also that the vendors shall be so selected as to represent various trades and vendor zones in the town.

(f) The Superintendent (Traffic Police) shall nominate an officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police, to serve as member of the Town Vending Committee;

(g) The Municipal Officer shall nominate three officials namely, Market Superintendent, Health Officer and Town Planner as members of the Town Vending Committee;

(h) The Director, Town and Country Planning shall nominate an official not below the rank of Assistant Director as member of the Town Vending Committee;

(i) The President of Chamber of Commerce shall nominate a representative as member of the Town Vending Committee;

(j) The president may, as required, invite any other person to be associated with the Town Vending Committee as advisor or consultant, on or without remuneration as may be approved by the Town Vending Committee, to be paid out of the funds of the Town Vending Committee.

(3) The term of the Town Vending Committee shall be co-terminus with the term of the Municipal Body.

(4) The Chairperson and Members shall not be eligible for any allowance for serving in the Town Vending Committee.

(5) The meetings of the Town Vending Committee shall be held at such intervals and at places within the local area as may be fixed by the Chairman bearing in mind the convenience of all members:

Provided that the time between two consecutive meetings shall not be more than three months.

6. **Office of the Town Vending Committee.—** The Municipal Officer shall, if required, provide rent-free office space for the Town Vending Committee.

7. **Register of Street Vendors.—** The Town Vending Committee shall maintain, ward-wise Register of street vendors containing all details as listed in sub-section (2) of Section 26 of the Act:

Provided that the Register shall be maintained in hard copy, duly attested by an officer to be designated by the Municipal Officer for this purpose.

8. **Annual Return.—** Every Town Vending Committee, having adopted in meeting before 30th June of the following financial year, shall send annual return, prescribed in Form-3 to the Director of Urban Administration and Development.

9. **Summary of the Scheme.—** A summary of the Scheme framed under Section 38 of the Act shall be published in two local newspapers as per Form-4.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

FORM -1
[See rule 4(1)]

APPEAL AGAINST AN ORDER OF THE TOWN VENDING COMMITTEE BEFORE THE MAYOR/PRESIDENT
(Name and Address of the Municipality)

1. Name of the Appellant
2. Vendor Registration Number
3. Full Address
4. Mobile Number
5. Place of Vending
6. Number and date of the Order against which appeal is preferred (attach a copy of the order)
7. Is the Appeal filed within 30 days of the date of the Order? Yes/No
8. Case History in brief (200 words approx)
9. Grounds for appeal
10. Do you wish to be heard in person before an order is passed? Yes/No

Signature of the Appellant

Date of Filing Appeal

(For Office Use only)

Appeal Reference No.: (ULB) / (Serial Number) / (Year)

FORM-2
[See rule 4(3)]

ACKNOWLEDGMENT OF APPEAL AGAINST AN ORDER OF THE TOWN VENDING COMMITTEE
(Name and Address of the Municipality)

Received for admission, an appeal from (Name of the Appellant) …………………………………......…… against an order No. ....dated...................................... of the Town Vending Committee.

Appeal Reference No. is as follows: (ULB) / (Serial Number) / (Year)

Date: Signature and Seal of the Authorised Person

FORM-3
[See rule 8]

ANNUAL RETURN OF THE TOWN VENDING COMMITTEE

1. Return for the financial year ended ...
2. Name of the TVC filing the return.
3. Name of the ULB.
4. Total number of members of the TVC.
5. Total number of vendor-members in TVC.
6. Number of TVC meetings held during the year.
7. Is proper record of meetings maintained? Yes / No
8. Has survey of vendors in the town been done? If yes, when was last survey done? Yes / No
9. Is a Register of Vendors maintained? Yes / No
10. Was the register of vendors updated during the year? Yes / No
11. Number of registered vendors at the start of the year.
12. Number of vendors de-registered during the year.
13. Number of new vendors registered during the year.
14. Number of registered vendors at the end of the year.
15. Number of vendor markets in the town.
16. Number of new vendor markets created during the year.
17. Number of vendors linked to banking
18. Number of vendors who were provided housing.
19. Number of vendors against whom cases were registered during the year.
20. Does the TVC have a dedicated fund? If yes, balance in the fund at the end of the year.
21. Good practices, if any, which the TVC would like to share with other TVCs.
22. Date of meeting in which the Annual Return was approved by the TVC.

Signature and Seal of the Authorized Person

FORM-4
[See Rule 9]

SUMMARY OF THE SCHEME

[Published in terms of Section 38(2) of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014]

(1) Survey of Street Vendors shall be conducted by the Municipal body for use of the Town Vending Committee ward-wise, trade-wise and vending-zone wise.

(2) The street vendors identified under the survey shall be issued Certificate of Vending bearing photo of the vendor, within three months of the survey, subject to the vendor executing an Undertaking in favour of the municipal body on the approved format given in the Scheme.

(3) Every vendor will be required to pay Rs.100/- (Rupees One Hundred only) to the Town Vending Committee concerned against a proper receipt as fee for issue of the Certificate of Vending. In case of loss or damage of the Certificate, a duplicate shall be issued on payment of Rs.500/- (Rupees Five Hundreds only).

(4) Every vendor who has been granted a Certificate of Vending shall be provided a photo ID Card which shall also bear his Aadhaar number.

(5) Every Vendor who has been given Certificate of Vending will be given a photo ID Card bearing, inter alia, the Aadhaar Number. Every vendor will be required to pay Rs.100/- (Rupees One Hundred only) to the Town Vending Committee concerned against a proper receipt as fee for issue of the photo ID. In case of loss or damage of the ID, a duplicate shall be issued on payment of Rs.500/- (Rupees Five Hundreds only).

(6) Other details relating to Street Vending are given in the Scheme, a copy of which can be procured from the municipal office on payment of Rs.500/-. It may also be viewed online on the website: ....

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 4-40/तीन-जेल/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष कालावधि के लिए नीचे कालम में दर्शित जेलों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	जेलों के नाम (2)	अशासकीय संदर्शक का नाम (3)	पता (4)
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर	1. श्री महावीर भोई	विवेकानंद आश्रम के पीछे, मंगल बाजार, रायपुर मो. नं. 9300819246.
		2. श्री निर्मल ठाकुर	आजाद चौक थाना के सामने, रायपुर मो. नं. 93016 64909
		3. श्री छबि गहलोट	पुरानी बस्ती टिकरापारा रायपुर मो. नं. 99070 08901
		4. श्री बृजेश रावत	फाफाडीह रायपुर मो. नं. 94252 11719
		5. श्रीमती नूतन पथोड़े	रायपुरा मो. नं. 98274 71211

(1)	(2)	(3)	(4)
		6. श्री जामील कुरैशी	गौतम नगर लाखेनगर के पास रायपुर मो. नं. 96917 87033
		7. श्री नरेन्द्र ठाकुर	खरोरा रायपुर मो. नं. 91657 56056
		8. श्री दिलीप अग्रवाल	अभनपुर जिला रायपुर मो. नं. 8435600000
2.	उप जेल, बलौदाबाजार	1. श्री संकेत शुक्ला	कोर्ट के सामने बलौदाबाजार मो. नं. 99266 44407
		2. श्री गिरधारी वर्मा	ग्राम-बरदा व्याहा लवन तह. व जिला-बलौदाबाजार मो. नं. 9926886446
3.	उप जेल गरियाबंद	1. श्री फिरतु राम कंवर	ग्राम व पो.-फुलकर्रा, वि.खं. व जिला गरियाबंद मो. नं. 99779 11809
		2. श्री राधेश्याम सोनवानी	वार्ड क्र.-1 पुलिस लाईन के पीछे गरियाबंद मो. नं. 94255 25947
4.	उप जेल धमतरी	1. श्री हरखचंद जैन	भखारा मो. नं. 94255 04625
		2. श्री शेखर सिन्हा	बठेना, धमतरी मो. नं. 98261 84961
		3. श्री मोहन नाहटा	नगरी मो. नं. 94255 92447
5.	जिला जेल महासमुंद	1. श्री शशी डडसेना	वार्ड क्र.-7, पिथौरा मो.नं. 98264 21025
		2. श्री गजेन्द्र चौधरी	सांकरा, पिथौरा मो. नं. 97544 27565
		3. श्री शंकर चन्द्राकर	बी.टी.आई. रोड महासमुन्द मो. नं. 84354 87555
6.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	1. श्री कांतीलाल बोथरा	ऋषभ नगर दुर्ग, मो. नं. 93296 92225
		2. श्री विनोद मनु	दीपक नगर दुर्ग मो. नं. 98930 94299
		3. श्री अजय भट्ट	ब्राह्मण पारा, दुर्ग मो. नं. 98271 09925
		4. श्री अनूप तिवारी	पदनाभपुर दुर्ग, मो. नं. 9826152003
		5. श्री विकास शर्मा	आर्यनगर दुर्ग, मो. नं. 9907412396
		6. श्री संतोष तिवारी	पांच बिल्डिंग दुर्ग, मो. नं. 9407780083
		7. श्री सुनील वाहने	गुलाटी नर्सिंग होम के बाजू आर्य नगर दुर्ग मो. नं. 9890338231.
		8. श्री अनिल सोनी	खुर्शीपार भिलाई मो. नं. 9479056296
7.	उप जेल बालोद	1. श्री नारायण राव	दल्ली राजहरा मो. नं. 9893296899
		2. श्री नबी खान	गुण्डरदेही मो. नं. 9893111980
8.	उप जेल बेमेतरा	1. श्री अजय साहू	मरका, बेमेतरा, मो. नं. 9893634646
		2. श्री रोहित सिंह ठाकुर	केंवतरा, साजा, मो. नं. 9406064142
9.	जिला जेल राजनांदगांव	1. श्री राधेश्याम गुप्ता	राजनांदगांव मो. नं. 9827179360
		2. श्री अरूण शुक्ला	राजनांदगांव मो. नं. 9300117107
		3. श्रीमती भारती शाह	राजनांदगांव मो. नं. 9300676858
10.	उप जेल डोंगरगढ़	1. श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल	डोंगरगढ़ मो. नं. 9425247005
		2. श्री कन्नैल सिंह भाटिया	डोंगरगढ़ मो. नं. 9827960651
11.	उप जेल कबीरधाम	1. श्री शिव अग्रवाल	मेन रोड कवर्धा मो. नं. 9425246759

(1)	(2)	(3)	(4)
		2. श्री जनक चन्द्राकर	महामाया चौक पण्डरिया, मो. नं. 99935 54543
12.	जिला जेल कांकेर	1. श्री दिलीप जायसवाल	बरदेभाठा, कांकेर मो. नं. 9425261824
		2. श्री परमानंद साहू	ग्राम हाराडुला, चारामा मो. नं. 9425262358
		3. श्री संजय खटवानी	मांझापारा कांकेर, मो. नं. 9406289990
13.	उप जेल नारायणपुर	1. श्री कारूराम बघेल	मो. नं. 7587720253
14.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	1. श्री झन्नूलाल बघेल	राजीव गांधी वार्ड जगदलपुर मो.नं. 7782227170
		2. श्रीमती सुधा मिश्रा	गुरू गोविन्दसिंह वार्ड जगदलपुर मो. नं. 9826710665
		3. श्री आर्येन्द्र सिंह आर्य	जगदलपुर मो. नं. 9424282599
		4. श्री मनोरंजन राय	कुम्हार पारा रोड जगदलपुर मो. नं. 8109143001
		5. श्रीमती देवकी कश्यप	मो.नं. 9926166302
		6. श्री शीलचंद जैन	ठाकुर रोड जगदलपुर, मो. नं. 9826166302
		7. श्री कृष्णा ठाकुर	इंदिरा वार्ड जगदलपुर, मो. नं. 7859288312
		8. श्री ओमप्रकाश अवस्थी	बालाजी वार्ड जगदलपुर, मो.नं. 7587299999
15.	जिला जेल दंतेवाड़ा	1. श्री दुर्गा सिंह चौहान	मेन रोड दीपका मो. नं. 9425260093
		2. श्री लिंगाराम	ग्राम पो.-गदापाल, दंतेवाड़ा मो. नं. 7587031752
		3. श्री रामकृष्ण रेड्डी	मेन रोड बारसूर मो.नं. 9406003932
16.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	1. श्री बलराम हरियाणवी	कृष्णानगर जूना बिलासपुर मो.नं. 8889488894
		2. श्री नारायण तावड़कर	राजेन्द्रनगर पो.आ. के पीछे, बिलासपुर मो. नं. 9993327522
		3. श्री राजेन्द्र अग्रहरी	ग्राम व पो. मटियारी जिला बिलासपुर मो.नं. 8120704345
		4. श्री विश्वनाथ यादव	चटघट रोड तखतपुर जिला बिलासपुर मो.नं. 7389133444
		5. श्री रमाकांत चंद्रनाडू	नं.पं. तिफरा जिला बिलासपुर मो. नं. 9826186566
		6. श्री एस. श्रीनिवास राव	जगन्नाथ मंदिर के पीछे,बिलासपुर मो.नं. 9926947974
		7. श्री नन्द कन्हैया यादव	कोटा जिला बिलासपुर मो. नं. 84353 19343
		8. श्री संजय मिश्रा	ग्राम पो.-छोटी कोनी, बिलासपुर मो. नं. 98271 84297
17.	उप जेल पेण्ड्रारोड	1. श्री कुलदीप सिंह धीरज	अमरकंटक रोड, गौरेला मो. नं. 94255 45514
		2. श्री हरवंश गुप्ता	राम मंदिर के सामने, पेण्ड्रा मो. नं. 75660 98206
18.	जिला जेल कोरबा	1. श्री बृजकिशोर तिवारी	नेहरू नगर, कोरबा मो. नं. 94241 44525
		2. श्री आकाश सक्सेना	करतला, वि.खं. करतला मो. नं. 9424163695
19.	उप जेल कटघोरा	1. श्री प्रकाश जाखड़	पसान, वि.खं. पोड़ी उपरवाड़ा मो. नं. 94241 67004
		2. श्री हरीश थारवानी	तीवर्ता, वि.खं. पाली मो.नं. 97521 17500

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	जिला जेल जांजगीर	1. श्री मनहरण लाल खूंटे	पामगढ़, जिला जांजगीर मो. नं. 97559 59366
		2. श्री बाबूलाल डडसेना	जैजेपुर जिला जांजगीर-चांपा मो. नं. 99815 28435
		3. श्री सुमीत प्रताप सिंह	अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा मो. नं. 9300000302
21.	उप जेल सक्ती	1. श्री कन्हैया गोयल	सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा मो. नं. 93002 12413
		2. श्री कृष्ण कुमार चन्द्रा	चन्द्रपुर जिला जांजगीर-चांपा मो. नं. 99931 17500
22.	जिला जेल रायगढ़	1. श्री सुरेश गोयल	रामनिवास टाकिज रोड, रायगढ़, मो. नं. 98271 50121
		2. श्री संजय बेरीवाल	बैकुण्ठपुर, रायगढ़
		3. श्री रविन्द्र भाठिया	कोतरा रोड, चूना भट्ठा, रायगढ़, मो. नं. 94060 13810
23.	उप जेल सारंगढ़	1. श्री अजय गोपाल	पेलपारा, सारंगढ़ मो. नं. 93292 63801
		2. श्री जुगल किशोर केशरवानी	बिलासपुर रोड, सारंगढ़ मो. नं. 70898 16369
24.	जिला जेल जशपुर	1. श्री आलोक राय	ग्राम करबला पोष्ट-जशपुरनगर मो. नं. 9425253417
		2. श्रीमती उमा सिन्हा	ग्राम पो.-जशपुरनगर, मो.नं. 9424194394
		3. श्री विकास गुप्ता	ग्राम पो. जशपुर नगर
25.	केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर	1. श्री राजबहादुर सिंह शास्त्री	स्कूल रोड बौरी पारा अम्बिकापुर मो. नं. 9826139094
		2. श्री बलराम जायसवाल	बौरीपारा अम्बिकापुर, मो.नं. 9826144238
		3. श्री विशाल गोस्वामी	ब्रह्म रोड, अम्बिकापुर, मो.नं. 9826236226
		4. श्री प्रभात श्रीवास्तव	दर्रीपारा, अम्बिकापुर मो. नं. 9826155423
		5. श्री संजय सोनी	सत्तीपारा अम्बिकापुर मो.नं. 9826184946
		6. श्री उमेश अग्रवाल	पुराना बस स्टैण्ड रोड ब्रह्म वार्ड, अम्बिकापुर मो.नं. 9425256281
		7. श्री श्याम गुप्ता पप्पू	दर्रीपारा अम्बिकापुर, मो.नं. 9826166253
		8. श्रीमती इन्दु कश्यप	शास्त्री वार्ड मायापुर, अम्बिकापुर मो.नं. 9826196891
26.	उप जेल सूरजपुर	1. श्री प्रवेश गोयल	नेहरू रोड, सूरजपुर मो. नं. 9165589000
		2. श्री बलभद्र सिंह	वार्ड क्र.-8 वकील कालोनी सूरजपुर मो.नं. 9425166302
27.	उप जेल रामानुजगंज	1. श्री सुभाष केशरी	ग्राम पो.-रामानुजगंज मो.नं.-9406086588
		2. श्री विनय यादव	ग्राम पो.-बलरामपुर मो.नं.-9669159523
28.	जिला जेल बैकुण्ठपुर	1. श्री विवेक जायसवाल	बैकुण्ठपुर मो.नं. 7415607300
		2. श्री चंचल राजवाड़े	घुघरा सोनहत, बैकुण्ठपुर मो.नं. 7697309604
		3. श्री गणेश ठाकुर	चिरमिरी मो. नं. 9424260340
29.	उप जेल मनेन्द्रगढ़	1. श्री जे. के. सिंह	मनेन्द्रगढ़ मो.नं. 9452410227
		2. श्री संजय पोद्दार	मनेन्द्रगढ़ मो.नं. 9425582018

No. F-4-40/THREE-JAIL/2015.—In exercise of the powers conferred in rule 815 (1) of Chhattisgarh Jail Manual, the State Government, hereby, appoint following persons as Non-official members for Jails as given in column mentioned below to 03 year's from date of appointment :—

S. No. (1)	Name of Jails (2)	Name of Non-official member (3)	Address (4)
1.	Central Jail Raipur	1. Shri Mahaveer Bhoi	Behind Vivekanand Ashram, Mangal Bazar, Raipur, M. No. 9300819246.
		2. Shri Nirmal Thakur	In front of Azad Chowk Thana, Raipur M. No. 93016 64909
		3. Shri Chhabi Gahlot	Purani Basti Tikarapara Raipur, M. No. 99070 08901
		4. Shri Brijesh Rawat	Fafadih Raipur, M. No. 94252 11719
		5. Smt. Nutan Pathode	Raipura, M. No.98274 71211
		6. Shri Jamil Qureshi	Near at Laakhenagar, Goutam Nagar, Raipur, M. No. 96917 87033.
		7. Shri Narendra Thakur	Kharora Raipur, M. No. 91657 56056
		8. Shri Dilip Agrawal	Abhanpur District Raipur M. No. 84356 00000
2.	Sub-Jail Balodabazar	1. Shri Sanket Shukla	In front of Court Balodabazar M. No. 9926644407
		2. Shri Girdhari Verma	Village-Barda Via Lawan Tah. & District Balodabazar, M. No. 99268 86446
3.	Sub Jail Gariaband	1. Shri Firtu Ram Kanwar	Village & Post Fulkarra, Block & District-Gariaband M. No. 9977911809.
		2. Shri Radhe Shyam Sonwani	Behind at Ward No. 1, Police Line Gariaband, M. No. 9425525947.
4.	District Jail Dhamtari	1. Shri Harakh Jain	Bhakhara, M. No. 9425504625
		2. Shri Shekhar Sinha	Bathena, Dhamtari, M. No. 9826184961
		3. Shri Mohan Nahta	Nagri M. No. 9425592447
5.	District Jail Mahasamund	1. Shri Shashi Dadsena	Ward No. 7, Pithoura, M. No. 98264 21025
		2. Shri Gajendra Chowdhary	Saankra, Pithoura, M. No. 9754427565
		3. Shri Shanker Chandrakar	B.T.I. Road, Mahasamund, M. No. 8435487555
6.	Central Jail Durg	1. Shri Kantilal Bothara	Rishabh Nagar, Durg, M. No. 9329692225
		2. Shri Vinod Manu	Deepak Nagar, Durg, M.No. 9893094299
		3. Shri Ajay Bhatt	Braheman Para, Durg, M. No. 98271-09925
		4. Shri Anup Tiwari	Padnabhpur Durg, M. No. 9826152003
		5. Shri Vikash Sharma	Arya Nagar Durg, M. No. 9907412396
		6. Shri Santosh Tiwari	Paanch Building Durg, M. No. 94077-80083.
		7. Shri Sunil Wahne	Beside Gulathi Nursing Home, Arya Nagar Durg, M. No. 9890338231.
		8. Shri Anil Soni	Khurshipaar Bhilai, M. No. 9479056296
7.	Sub-Jail Balod	1. Shri Narayan Rao	Dullirajhara, M. No. 9893296899
		2. Shri Nabi Khan	Gunderdehi, M. No. 9893111980
8.	Sub Jail Bemetara	1. Shri Ajay Sahu	Marka, Bemetara M. No. 9893634646
		2. Shri Rohit Singh Thakur	Kenwatara, Saaza, M. No. 9406064142

(1)	(2)		(3)	(4)
9.	District Jail Rajnandgaon	1.	Shri Radheshyam Gupta	Rajnandgaon M. No. 9827179360
		2.	Shri Arun Shukla	Rajnandgaon M. No.9300117107
		3.	Smt. Bharti Shah	Rajnandgaon M. No. 9300676858
10.	Sub Jail Dongargarh	1.	Shri Laxminarayan Agrawal	Dongargarh, M. No. 9425247005
		2.	Shri Kanrail Singh Bhatiya	Dongargarh, M. No. 9827960651
11.	Sub Jail Kabirdham	1.	Shri Sihv Agrawal	Main Road, Kawardha, M. No. 94252-46759
		2.	Shri Janak Chandrakar	Mahamaya Chowk, Pandaria M. No.- 9993554543
12.	District Jail Kanker	1.	Shri Dilip Jaiswal	Bardebhatha, Kanker, M. No. 9425261824
		2.	Shri Parmanand Sahu	Village-Haradula, Charama, M. No.- 9425262358.
		3.	Shri Sanjay Khatwani	Manzapara, Kanker M. No. 9406289990
13.	Sub Jail Narayanpur	1.	Shri Karuram Baghel	M. No. 7587720253
14.	Central Jail Jagdalpur	1.	Shri Jhannulal Baghel	Rajiv Gandhi Ward. Jagdalpur, M. No.- 7782227170.
		2.	Smt. Sudha Mishra	Guru Govind Singh Ward Jagdalpur M. No. 9826710665.
		3.	Shri Aryendra Singh Arya	Jagdalpur, M. No. 9424282599
		4.	Shri Manoranjan Rai	Kumhar Para Road Jagdalpur M. No.- 8109143001
		5.	Smt. Devki Kashyap	M. No. 99261 66302
		6.	Shri Shilchand Jain	Thakur Road, Jagdalpur M. No. 98261-66302
		7.	Shri Krishan Thakur	Indira Ward, Jagdalpur, M.No. 78592-88312
		8.	Shri Omprakash Awasthi	Balaji Ward, Jagdalpur, M. No. 75872-99999.
15.	District Jail Dantewada	1.	Shri Durga Singh Chouhan	Main Road Deepka, M. No. 9425260093
		2.	Shri Linga Ram	Village Post-Gadapaal Dantewada M. No. 75870 31752
		3.	Shri Ramkrishna Reddy	Main Road, Baarsur M. No. 9406003932
16.	Central Jail Bilaspur	1.	Shri Balram Hariyanawi	Krishnanagar Juna Bilaspur, M. No.- 8889488894.
		2.	Shri Narayan Tawadkar	Behind Rajendra Nagar Post Office, Bilaspur M. No. 9993327522
		3.	Shri Rajendra Agrahari	Village & Post-Mathiyari District-Bilaspur M. No. 8120704345
		4.	Shri Vishwanath Yadav	Chatghath Road Takhatpur, District-Bilaspur, M. No. 7389133444
		5.	Shri Ramakant Chadranadu	Nagar Panchayat Tiphara, District-Bilaspur, M. No. 9826186566
		6.	Shri S. Shriniwas Rao	Behind Jagannath Mandir, Bilaspur M. No. 99269 47974.
		7.	Shri Nanakanhaiya Yadav	Kota District-Bilaspur, M. No.- 84353-19343
		8.	Shri Sanjay Mishra	Village Post-Chhoti Koni, Bilaspur M. No. 98271 84297

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Sub Jail Pendraraod	1. Shri Kuldip Singh Dhiraj	Amarkantak Road, Gourela, M. No.- 9425545514
		2. Shri Harwansh Gupta	In front of Rammandir Pendra, M. No.- 7566098206
18.	District Jail Korba	1. Shri Brijkishor Tiwari	Nehru Nagar, Korba, M. No. 94241 44525
		2. Shri Akash Saxena	Kartala, Block_Kartala, M. No. 94241 63695
19.	Sub-Jal Katghora	1. Shri Prakash Jakhad	Pasaan, Block-Podi, Uparwada M. No. 94241 67004.
		2. Shri Harish Tharwani	Tiwarta, Block-Paali M. No. 9752117500
20.	District Jail Jaanjgir	1. Shri Manharan Lal Kunte	Pamgarh, District-Jaanjgir, M. No. 97559 59366.
		2. Shri Babulal Dadsena	Jaijepur, District-Jaanjgir Champa M.No. 9981528435
		3. Shri Sumit Pratap Singh	Akaltara, District-Jaanjgir Champa M.No. 9300000302
21.	Sub Jail Sakti	1. Shri Kanhaiya Goyal	Sakti, District-Janjgir Champa, M.No. 9300212413.
		2. Shri Krishna Kumar Chandra	Chandrapur, District-Jaanjgir Champa M.No. 9993117500.
22.	District Jail Raigarh	1. Shri Suresh Goyal	Ramniwas Talkies Road, Raigarh M.No. 9827150121.
		2. Shri Sanjay Beriwal	Baikunthpur, Raigarh
		3. Shri Ravidnra Bhatiya	Kotara Road, Chuna Bhattha, Raigarh M.No. 9406013810
23.	Sub Jail Saranggarh	1. Shri Ajay Gopal	Pelpara, Saranggarh, M. No. 9329263801
		2. Shri Jugal Kishor Kesharwani	Bilaspur Road, Saranggarh, M.No. 7089816369.
24.	District Jail Jashpur	1. Shri Alok Rai	Village-Karbala, Post-Jashpurnagar M.No. 9425253417.
		2. Smt. Uma Sinha	Village Post-Jashpurnagar, M. No.- 9424194394.
		3. Shri Viakas Gupta	Village Post-Jashpurnagar
25.	Central Jail Ambikapur	1. Shri Rajbahadur Singh Shastri	Sechool Road Bouri Para, Ambikapur, M.No. 9826139094.
		2. Shri Balram Jaiswal	Bouri Para, Ambikapur M. No. 98261-44238
		3. Shri Vishal Goswami	Bramha Road, Ambikapur, M.No.-98262-36226
		4. Shri Prabhat Shrivastava	Darripara, Ambikapur M.No. 98261-55423
		5. Shri Sanjay Soni	Sattipara Ambikapur, M.No. 9826184946
		6. Shri Umesh Agrawal	Puran Bus Stand Road Bramha Ward, Ambikapur, M.No. 9425256281
		7. Shri Shyam Gupta Pappu	Darripara Ambikapur, M.No. 98261-66253
		8. Smt. Indu Kashyap	Shastri Ward, Mayapur, Ambikapur M.No. 9826196891.

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Sub Jail Surajpur	1. Shri Pravesh Goyal	Nehru Road, Surajpur M.No. 91655-89000
		2. Shri Balbadra Singh	Ward No. 8 Waqil Colony, Surajpur M.No. 9425166302.
27.	Sub Jail Ramanujgunj	1. Shri Subhash Kshari	Village Post-Ramanujgunj, M.No.- 9406086588
		2. Shri Vinay Yadav	Village Post-Balrampur M. No. 96691-59523
28.	District Jail Baikunthpur	1. Shri Vivek Jaiswal	Baikunthpur M. No. 7415607300
		2. Shri Chanchal Rajwade	Ghughara Sonhat, Baikunthpur, M.No. 7697309604
		3. Shri Ganesh Thakur	Chirmiri, M.No. 9424260340
29.	Sub Jail Manendragarh	1. Shri J. K. Singh	Manendragarh, M.No. 9452410227
		2. Shri Sanjay Poddar	Manendragarh, M.No. 9425582018

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक/6486/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	नवागांव (भावगीर)	1.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	इच्छापुर व्यपवर्तन योजना हेतु.

कांकेर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक/6489/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	मनकेसरी	0.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	मनकेसरी जलाशय के उलट बीयर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक/6492/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	दुर्गूकोंदल	आमागुहान (दमकसा)	6.06	पुलिस अधीक्षक, कांकेर	नवीन पुलिस चौकी स्थापना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक/1834/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-बघमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
602/2	0.005
1097/1, 1101/2	0.041
761/1	0.005
1096	0.019
1043	0.003
1101/1	0.011
1046	0.025
601/2, 632/1, 633, 636	0.324
997	0.002
1472/2	0.6
760	0.01
1466/1	0.111
1020	0.006
1094/1	0.045
1121	0.077
763, 764, 765, 766	0.035
890	0.014
1026/2, 1037, 1041	0.07
1021	0.002
1022	0.001
1053	0.031
(1)	(2)
1472/6, 1472/7	0.097
1033	0.029
602/1	0.003
635	0.072
1023, 1024	0.039
602/3	0.004
776, 777	0.017
986, 992/1	0.012
1093/2	0.076
1055	0.02
1036/1	0.038
620	0.005
768	0.056
867, 868	0.077
996	0.002
876, 761/2	0.013
762	0.01
1094/3	0.03
774	0.005
775	0.005
641	0.137
1092	0.031
1472/3	0.01
1472/4	0.05
1472/5	0.048
1047	0.021
1094/2	0.057
1103	0.006
767, 1045	0.073
1040	0.013
616, 618, 619, 621/2, 622/5, 627	0.04
1036/2	0.036
1054	0.017
987, 634	0.028
632/2, 632/3	0.004
640	0.021
1051	0.028
1122, 1128	0.063
1102	0.021
1091	0.018
638, 639	0.029
871	0.012
991, 1612	0.013
1472/9	0.02
1027	0.011

(1)	(2)
632/4	0.008
योग 93	2.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालोद से पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक/1840/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-पाररास
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.326 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
180/1-3	0.016
301/1-2	0.024
303/1-3	0.004
261/1-2	0.032
264/1	0.038
269/2	0.024
270	0.072
272/1	0.120
274	0.093
271/1	0.120
276/1-3	0.090
276/2-4	0.076
277	0.019
287/1	0.100
287/2	0.060
287/3	0.004
298/3	0.060
298/4	0.064
288/1	0.060
298/1	0.001
299	0.160
302	0.089
योग 22	1.326

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालोद से पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बंधापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.188 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	10	0.170
	9/1	0.117
	3/6/1	0.125
	1/2	0.008
	36/1	0.052
	8/1	0.020
	5	0.150
	36/2	0.146
	11	0.008
	8/2	0.008
	37/2	0.008
	9/2	0.190
	7	0.121
	1/1	0.065
योग	14	1.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पामगढ़-शिवरीनारायण-बरमकेला-सोहेला मार्ग पर लात नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोहारिनडीपा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	140/7	0.089
	140/11	0.061
	140/9	0.022
योग	3	0.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पामगढ़-शिवरीनारायण-बरमकेला-सोहेला मार्ग पर लात नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-बहलीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.897 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
113	0.134
162/5	0.053
2/2	0.081
2/10	0.129
162/3	0.081
162/13	0.056
2/7	0.096
162/14	0.024

	(1)	(2)
	2/3	0.243
योग	9	0.897

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तौंसीर-लेन्ध्रा मार्ग 2/6 किमी. किंकारी नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चितापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	379/2ख	0.093
	380	0.048
योग	2	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सखिया नाला पर ग्राम कटाईपाली सी से चीतापाली मार्ग में सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.358 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	90	0.078
	287, 312	0.258
	281	0.061
	289, 291	0.040
	842	0.125
	286/2	0.040
	288	0.180
योग	7	0.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरजा नाला पर बकालो मड़वाताल सरिया मार्ग में सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक/14802/नग्रानि/2014.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरंग निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना प्रति उक्त अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

आरंग निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बोडरा, कलई, खमतराई तथा अमेठी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम अमेठी, बेनीडीह, राटाकाट, पारागांव तथा निसदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम निसदा, अकोलीखुर्द, ओडका, बोरिद तथा लखोली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम लखोली, रसनी तथा बोडरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थलः— कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् आरंग.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1808/नग्रानि/कबीरधाम/बोड़ला/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बोड़ला निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कबीरधाम एवं कार्यालय नगर पंचायत बोड़ला में दिनांक 31-10-2015 से 30 दिवस के लिये निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

अनुसूची

बोड़ला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भंडार एवं लालपुरखुर्द ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम लालपुरखुर्द, बोड़ला एवं मुडियापारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम मुडियापारा, मंडलाटोला, सुकवापारा, जैताटोला एवं चेंहटा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम चेंहटा, बोड़ला एवं भंडार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर आयुक्त सहसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1808/T&CP/Kawardha/Bodala/2015.—Notice is hereby given that Notice for the publication of Existing land use of Bodala planning area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy there of is available for inspection from date 31-10-2015 to till 30 days of working, during office hours in the offices of Collector district Kabirdham c.g., office of the Assistant director town and country planning Kabirdham c.g., and office of the nagar panchayat Bodala C.G.

The limit of Bodala planning area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limit of Bodala Planning Area

NORTH : Village Bhandar & upto Northern limit of village-Lalpurkhurd.
EAST : Village Lalpurkhurd, Village-Bodala & upto Eastern limit of Village-Mudiyapara.
SOUTH : Village Mudiyapara, Village-Mandalatola, Village-Sukwapara, Village-Jaitatola & upto Southern limit of Village Chehanta.
WEST : Village Chehanta, Village-Bodala & upto Western limit of Village-Bhandar.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to Commissioner Cum Director Town and Country Planning, Chhattisgarh Naya Raipur within a period of thirty days from the date of publicaion of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Commissioner Cum Director Nagar Tatha Gram Nivesh Chhattisgarh.

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1760/ख.लि./न.क्र./2015.—बिलासपुर जिले में रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006 के 4 (2) के तहत घोषित रेत खदानों को शासकीय राजपत्र में प्रकाशन किया जाना है. एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है.

बिलासपुर जिले में स्वीकृत रेत खदान को राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने हेतु सूची निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	रेत खदान का नाम	नदी का नाम	खसरा क्र.	रकबा क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेंदरी	सेंदरी-1	अरपा	2096	9.00 ए.
2.	सेंदरी	सेंदरी-2	अरपा	2096	5.00 ए.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	कोनी	कोनी–1	अरपा	1	3.00 ए.
4.	कछार	कछार–1	अरपा	1344	5.00 ए.
5.	लोफन्दी	लोफन्दी–1	अरपा	1	3.00 ए.
6.	घुटकू	घुटकू–1	अरपा	21	2.00 ए.
7.	मंगला	मंगला–1	अरपा	850	5.00 ए.
8.	निरतू	निरतू–1	अरपा	1549	2.00 ए.
9.	दर्रीघाट	दर्रीघाट	अरपा	32	5.263 हे.
10.	परसौड़ी	गोपालपुर	खारून	380	10.996 हे.
11.	पासीद	पासीद	अरपा	1444	6.072 हे.
12.	लावर	लावर	अरपा	1	5.263 हे.
13.	खरगहना	गोबंद	अरपा	485	5.101 हे.
14.	लमेर	लमेर	अरपा	919	12.145 हे.
15.	सेन्दरी	सेन्दरी–3	अरपा	2096	5.085 हे.
16.	लोखण्डी	लोखण्डी	अरपा	324	5.333 हे.
17.	लोफन्दी	लोफन्दी–2	अरपा	1	10.121 हे.
18.	कोनी	कोनी–2	अरपा	118	6.072 हे.
19.	कोनी	कोनी–3	अरपा	118	5.230 हे.
20.	निरतु	निरतु–2	अरपा	1549	6.295 हे.
21.	कछार	कछार–2	अरपा	1344	11.740 हे.
22.	सेन्दरी	सेन्दरी–4	अरपा	2096	6.234 हे.
23.	घूटकु	घूटकु–2	अरपा	21	8.097 हे.
24.	मंगला	मंगला–2	अरपा	850	5.129 हे.
25.	कुकुरदीकला	कुकुरदीकला	शिवनाथ	678/1	5.500 हे.
26.	विशेषरा	विशेषरा	सोन	95, 113, 114	2.369 हे.
27.	ढ़ेका	ढ़ेका	अरपा	208, 211	5.400 हे.
28.	डोमगांव	गिधपुरी	अरपा	18	5.000 हे.
29.	सिलदहा	सिलदहा	अरपा	1	6.728 हे.
30.	मटियारी	बेलटुकरी	अरपा+शिवनाथ	227	12.000 हे.
31.	पीपरडोल	गुल्लीडांड	सोन	705	2.479 हे.
32.	सिलहरी	सिलपहरी	सोन	557/1	5.000 हे.
33.	चिचगोहना	चिचगोहना	सोन	636	5.125 हे.
34.	सोढ़ाखुर्द	छतौना	अरपा	1	5.500 हे.
35.	मनौरा	मनौरा	सोन	100/16	8.797 हे.
36.	करहीकछार	करहीकछार	अरपा	204/1	5.483 हे.
37.	परसदा (सेलर)	परसदा (सेलर)	खारून	1024	5.500 हे.

अन्बलगन पी.,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्रमांक 8013/तीन-10-8/2000 (VII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-8099/तीन-10-8/2000 (VII), दिनांक 12-11-2014 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना पृ. क्रमांक 9479/3183/XXI-B/15 दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 02-11-2015 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	2	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	2	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	3	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
8.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
10.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
13.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
14.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
15.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
		2. सरायपाली	1	2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
16.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
17.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
20.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. रामानुजगंज	1	2. रामानुजगंज	2	2. वाड्रफनगर	1
						3. सीतापुर	1
						4. बलरामपुर	1
						5. राजपुर	1
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**84**		**85**		**123**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 8013/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 8099/ III-10-8/2000 (VII), dated 12-11-2014, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification endt. No. 9479/ 3183/XXI-B/15 dated 30-09-2015 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 02-11-2015 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
4.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	2	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	3	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
7.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
8.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
10.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
12.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2 Narayanpur	1	2. Keshkal	1
13.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
15.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
		2. Saraipali	1	2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
16.	Raigarh	1. Raigarh	5	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Raipur	1. Raipur	10	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Gariyaband	1	2. Gariyaband	2	2. Gariyaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1
18.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
						3. Khairagarh	1
				3. Dongargarh	1	4. Chhuikhadan	1
				4. Khairagarh	1		
19.	Surajpur	1. Surajpur	3	1. Surajpur	2	1. Surajpur	2
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
20.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	6	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Ramanujganj	1	2. Ramanujganj	2	2. Wadrafnagar	1
						3. Sitapur	1
						4. Balrampur	1
						5. Rajpur	1
21.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
		2. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1
		Total	**84**		**85**		**123**

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.